राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1666/2013/भीलवाड़ा

मैसर्स उत्तमचन्द कोठारी, भीलवाड़ा ।

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, भीलवाड़ा ।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.पी.शर्मा,
अभिभाषक ।

........अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक ।

.........प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :31.07.2014

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील अपील उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील्स), भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **29.07.2013** के विरूद्ध पेश की गयी है, जो **अपील संख्या 40/वैट/2013–2014 के संबंध में है** तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत् निर्धारण वर्ष 2011–12 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 15.05.2013 में **रू.45,76,409/–** में से 30 प्रतिशत मजदूरी राशि अर्थात् **रू.13,72,922/–** को कम किये बिना सम्पूर्ण राशि **रू.45,76,409/–** पर 1.5 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति निर्धारित कर, **रू.13,72,922/–** पर 1.5 प्रतिशत की दर से कायम कर मुक्ति **20,593/– व कर रू.16,119/–** को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया गया है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी ठेकेदारी का कार्य करता है जिसका निर्धारण वर्ष **2011–12** का निर्धारण आदेश प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 24 के तहत् दिनांक **15.05.2013** को पारित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, तदनुसार मांग राशि कायम की गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार..................2

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अपीलार्थी व्यबहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि राज्य सरकार ने धारा 15 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एफ. 4(12)एफडी/टैक्स.डिवी/2005–80 दिनांक 11.08.2006 जारी की है जिसमें संविदा कार्य में प्रयुक्त माल को कर मुक्त करते हुये कार्य संविदा की प्रकृति के मद्देनज़र, मुक्ति शुल्क निर्धारित किया है । अग्रिम कथन किया कि संविदा कार्य में निष्पादित माल के अतिरिक्त मजदूरी व अन्य खर्चे जिन पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई कर देयता नहीं बनने के कारण, अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत जारी उक्त अधिसूचना के आलोक में 30 प्रतिशत खर्चों पर कर मुक्ति शुल्क निर्धारित नहीं किया जा सकता । अपने कथन के समर्थन में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (1999) 114 एस.टी.सी.265 को संद्धर्भित कर, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को इस बिन्दु पर पुष्टि करने को अपास्त कर, अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

. अग्रिम तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में क्रय किये गये उत्पादों पर भिन्न–भिन्न दरों से वैट चुकाया गया है एवम् उक्त उत्पादों पर अपीलार्थी व्यवहारी को किसी प्रकार का कोई लाभ एवम् खर्चे नहीं होते हैं क्योंकि उक्त माल जो उपयोग में लिया जाता है उसकी अवार्डर द्वारा निश्चित सरकारी बीएमआर होती है एवम् उक्तानुसार ही अपीलार्थी व्यवहारी को भुगतान किया जाता है । परन्तु प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा घोषित आवर्त में वृद्धि कर, करारोपण किया गया है। उक्तं बिन्दु पर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपनी लेखा पुस्तकों में आवर्त को घोषित किया गया था परन्तु प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषित आवर्त में बिना किसी ठोस आधार के वृद्धि कर, करारोपण किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । कथन किया कि करारोपण करने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को विशिष्ट नोटिस भी जारी नहीं किया गया है जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 48 की व प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों की अवहेलना है। अग्रिम तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त बिन्दु पर प्रकरण को निर्धारण अधिकारी को सुनवायी का विशिष्ट अवसर प्रदान करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है जो उचित नहीं है क्योंकि निर्धारण वर्ष की समय सीमा दो वर्ष होती है । दिनांक 01.04.2011 से दिनांक

लगातार...................3

31.03.2012 तक की अवधि के निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2014 तक ही की जा सकती है एवम् उक्त अवधि के बाद यदि निर्धारण अधिकारी प्रतिप्रेषित अपीलीय आदेश की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी का निर्धारण आदेश पारित करते हैं तो वह अवधिपार होने के कारण विधिशून्य है । अतः अपने उक्त तर्कों के आधार पर उक्त बिन्दु पर विवादित कर को अपास्त करने की प्रार्थना की गयी ।

अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप—राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । इस संबंध में हस्तगत प्रकरण में जहां तक संविदा कार्य में निष्पादित माल के अतिरिक्त मजदूरी व अन्य खर्चे जिन पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई कर देयता नहीं बनने व अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आलोक में, 30 प्रतिशत खर्चों पर कर मुक्ति शुल्क निर्धारित नहीं किया जाने का प्रश्न है, उक्त के संबंध में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के उद्धरित न्यायिक दृष्टांत मैसर्स ग्राउन्डर एण्ड कं0 बनाम् स्टेट ऑफ कर्नाटक व अन्य (1999) 114 एस.टी.सी.265 का ससम्मान अध्ययन कर विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया । इस संबंध में विद्वान अभिभाषक द्वारा ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टांत अधोहस्ताक्षरी के विनम्र मत में इस प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफडी / टैक्स.डिवी / 2005—80 दिनांक 11.08.2006 में जिन कार्य संविदाओं का उल्लेख सूची में किया जाकर जो शुल्क विहित किया गया है, वह कुल कार्य संविदा मूल्य (**Total value of work contract**) पर है जबकि माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित बिन्दु कर्नाटक राज्य के विक्रय कर अधिनियम, 1957 की धारा 17(6) के प्रावधान जो दिनांक 01.04.1996 से पूर्व में विद्मान थे, का निर्वचन था, जिसमें सकल पण्यावर्त, जो कार्य संविदा निष्पादन के दौरान के वस्तुओं या अन्य रूप में माल सम्पति के रूप में अन्तरित हुयी हो, का उल्लेख था, परन्तु राज्य सरकार द्वारा जारी ऊपर उद्धरित अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 में विशेष रूप से कुल कार्य संविदा मूल्य (Total value of work contract) पर मुक्ति शुल्क की दर अधिसूचित की गयी है। अतः ऐसी स्थिति में, उद्धरित

लगातार..................4

न्यायिक दृष्टांत अपीलार्थी की मदद नहीं करता। लिहाजा, विद्वान अपीलीय अधिकारी ने निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में विवादित बिन्दु की पुष्टि करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। फलस्वरूप, अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर **उक्त बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है ।**

हस्तगत प्रकरण के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठायी गयी आपित्त कि दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 31.03.2012 तक की अवधि के निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2014 तक ही की जा सकती है एवम् उक्त अवधि के बाद यदि निर्धारण अधिकारी प्रतिप्रेषित अपीलीय आदेश की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी का निर्धारण आदेश पारित करते हैं तो वह अवधिपार होने के कारण विधिशून्य है, उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि दो वर्ष की समयसीमा संबंधी अवधि मूल निर्धारण आदेश पारित करने के संबंध में है । परन्तु यदि इस संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है तो वह अपीलीय आदेश प्राप्ति के दो वर्ष की समय सीमा में प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रावधान अधिनियम की धारा 24 (6) में विशिष्ट रूप से प्रावधित किये गये हैं, जो इस प्रकार है:—

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), where an assessment order is passed in consequence of or to give effect to any order of an appellate or revisional authority or a competent court, it shall be completed within two years of the communication of such order to the assessing authority; however, the Commissioner may for reasons to be recorded in writing, extend in any particular case, such time limit by a period not exceeding six months."

अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उठायी गयी आपत्ति अस्वीकार की जाती है। जहां तक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा किये गये संविदा कार्यों में प्रयुक्त माल के संबंध में लाभांश जोड़ कर, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये करारोपण का प्रश्न है, उक्त बिन्दुओं पर अपीलीय अधिकारी द्वारा नोटिस व विशिष्ट नोटिस जारी किये जाने के अभाव में उचित रूप से प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है क्योंकि रिकॉर्ड पत्रावली पर इस संबंध

लगातार....................5

में नोटिस उपलब्ध नहीं है । अतः उक्त के अभाव में अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में विवेचन कर, प्रकरण को उक्त बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने हेतु उचित रूप से प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है। अतः उक्त बिन्दु पर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया ।

31.7.2014

(मदन लाल)
सदस्य